संख्या-104/2025/2081/22-2-2024-17(436)/2020

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 10 फरवरी, 2025

विषयः- जिला कारागार एटा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव कुमार पुत्र श्री शिवानन्द, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-36860/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-19.11.2024, दिनांक 05.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शिव कुमार पुत्र श्री शिवानन्द, ग्राम-महाव, थाना-स्याना, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बन्दी द्वारा प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर पूर्व में हुई हत्या के बदले की भावना से दिनांक 26.03.2000 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गोली से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। बन्दी के 03 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त मा० उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 06 सहअभियुक्त कारागार में सजा भोग रहे है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं०-884/2000, धारा-323/149, 307/149, 302/149, 148 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-04, बुलन्दशहर के दण्डादेश दिनांक 29.09.2003 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27.09.2013 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26-09-2024 तक 24 वर्ष, 05 माह, 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 31 वर्ष, 03 माह, 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु 49 वर्ष, 06 माह, 06 दिन है। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, एटा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिव कुमार (बन्दी संख्या-40/2018) पुत्र श्री शिवानन्द, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-104/2025/2081(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, एटा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में में योजित सिविल अवमानना याचिका सं0-6871/2024 शिव कुमार बनाम श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग व अन्य अन्तर्गत क्रिमिनल मिस0 रिट याचिका सं0-10020/2024 शिव कुमार शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।